संख्या–26 / III (2) / 09–52(प्रा0आ0) / 2006

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 05 जनवरी, 2010

विषयः–जनपद पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत झलमहादेव गडडी गधेरे में झूला पुल एवं रिखणीखाल में नयार नदी पर नाड देवखर में झूला पुल कार्य की पुनरीक्षित स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (ग.क्षे.) लोक निर्माण विभाग, पौड़ी के पत्र सं0–264 / 36(583)याता0–पर्व / 07 दिनांक 29.01.2009 एवं संख्या–2730 / 36(591)याता0–पर्व / 08 दिनांक 24.07.2009 एवं अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड,लोक निर्माण विभाग,लैन्सडाऊन का पत्र सं0–4462 / 16 सी, 4463 / 16 सी दिनांक 24.10.2009 के संदर्भ में उपलब्ध कराये गये प्रश्नगत कार्यों का पुनरीक्षित आगणनों के संदर्भ में एवं शासनादेश सं0–2755 / III–2 / 06–52(प्रा0आ0) / 06 दिनांक 10 नवम्बर,2006 के **क्रमांक सं0–3 एवं 4** के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता (ग.क्षे.) लोक निर्माण विभाग,पौड़ी द्वारा जनपद पौड़ी गढवाल में झलमहादेव गड्डी गधेरे में 50 मी0 झूला पुल लागत रू0 97.50 लाख के पुनरीक्षित आगणन पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रू0 96.20 लाख **(रू0 छियानवे लाख बीस हजार मात्र)** एवं रिखणीखाल में नयार नदी पर नाड देवखर में 80 मी0 झूला पुल का निर्माण (मा0मु0घो0) के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 155.56 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी रूपये 154.52 लाख **(रू0 एक करोड़ चौवन लाख बावन हजार मात्र)** के पुनरीक्षित आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

2. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही है कि शासनादेश सं0–2755 / III–2 / 08–52 (प्रा0आ0) / 06 दिनांक 10 नवम्बर,2006 के द्वारा कमांक सं0–2 एवं 3 पर प्रश्नगत कार्यों हेतु प्रदान की गई स्वीकृति रूपये 60.75 लाख की धनराशि को घटाते हुए **झलमहादेव गडडी गधेरे में 50 मी0 झूला पुल हेतु रू0 35.45 लाख (रू0 पैंतीस लाख पैंतालीस हजार मात्र)** एवं कमांक सं0–3 पर **रिखणीखाल में नयार नदी पर नाड देवखर में 80 मी0 झुला पुल कार्य** की पूर्व स्वीकृत धनराशि रू0 99.12 लाख की धनराशि को कम करते हुए **रू0 55.40 लाख (रू0 पचपन लाख चालीस हजार मात्र)** की पुनरीक्षित वृद्वि में इन कार्यो को पूर्ण करा लिया जायेगा तथा अब इसके लिए कोई भी अतिरिक्त वृद्वि किन्ही भी कारणों से देय नही होगी। उक्त शासनादेश केवल उक्त अनुमन्य सीमा तक ही संशोधित समझा जाय। पूर्व स्वीकृत लागत के सापेक्ष यदि कोई धनराशि आवंटन के बाद व्यय कर दी गई हो तो उस धनराशि को समायोजित करके अवशेष धनराशि ही चालू कार्यो पर अवमुक्त की जायेगी ।

3. उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेंट नियमावली 2008 में उल्लिखित अनुदेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वन भूमि एवं निजी भूमि आदि की कार्यवाही की जाय, तथा भूमि का भुगतान नियमानुसार प्रथम वरियता के आधार पर किया जाय एवं भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कर कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जाय।

5. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

7. एकमुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

9. कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

10. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

11. निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाय।

12. यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

13. आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाय। उक्त विवरण प्रस्तुत किये जाने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त की जायेगी।

14. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

15. उक्त योजना पर व्यय राज्य सेक्टर के अन्तर्गत (मार्ग के चालू कार्य) के निर्वतन पर रखी गई धनराशि से आवश्यकतानुसार अपने स्तर से ही किया जाये।

16. यह आदेश लोक निर्माण विभाग की पत्रावली संख्या-52 (प्रा0आ0)/06 एवं सं0-07(प्रा0आ0)/05 टी0सी0-01 में प्राप्त वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या- 26 (1)/ III(2)/08,तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स माजरा, देहरादून ।
2- आयुक्त गढ़वाल मंडल, पौड़ी।
3- जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, पौड़ी ।
4- मुख्य अभियन्ता,गढ़वाल क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौड़ी।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6- वित्त अनुभाग-2 / वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
7- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड शासन।
8- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,लैन्सडाऊन ।
9- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
10- लोक निर्माण अनुभाग-1 / 3 उत्तराखण्ड शासन / गार्ड बुक

आज्ञा से,
(महिमा)
अनु सचिव।